न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामरख मीना RAS

प्रकरण संख्याः—29/2019 दायर दिनांक :—01.04.2019

1. सहीराम
2. भानीराम
3. श्रवणराम

पुत्रगण बालूराम जाति जाट
निवासी राजेडू तहसील श्रीडूगरगढ़
जिला बीकानेर (राजस्थान) ——वादीगण

—:बनाम:—

1. बालूराम पुत्र मूलाराम जाति जाट
2. मनोहरी पत्नि बालूरामनिवासी राजेडू
3. शारदा पुत्रिया तहसील श्रीडूगरगढ़
4. सन्तोष जिला बीकानेर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
6. उप पंजीयक पजीयन कार्यालय श्रीडूगरगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायीनिषेधाज्ञा
अन्तर्गत आर.टी.एक्ट 1955 धारा 53,88,188

उपस्थितः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री के के पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. श्री राज पेरापकार

निर्णय दिनांक :—15.04.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के विरासतन के खेत खसरा नम्बर 808/184 तादादी 6.0400 हैक्टेयर रोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त वादगत खेत खसरा नम्बर 808/184 तादादी 6.0400 हैक्टेयर रोही राजेडू में से पारिवारिक विभाजन में वादी संख्या 1 सहीराम के 1/4 हिस्सा उतरी मध्य वादी संख्या 2 भानीराम के 1/4 हिस्सा उतरी वादी संख्या 3 श्रवणराम के 1/4 हिस्सा पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 2 मनोहरी के 1/4 हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी तरफ हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार वादीगण का अपने हिस्से पर कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण उक्त खसरा नम्बर 808/184 तादादी 6.0400 हैक्टेयर रोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार वादीगण ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा—काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से दिनांक 06.03.2019 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रहे है। वादगत भूमि में हक वादीगण का कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है।

- - - 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 808/184 तादादी 6.0400 हैक्टेयर रोही राजेडू में से वादी संख्या 1 सहीराम के 1/4 हिस्सा उतरी मध्य वादी संख्या 2 भानीराम के 1/4 हिस्सा उतरी वादी संख्या 3 श्रवणराम के 1/4 हिस्सा पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 2 मनोहरी के 1/4 हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी तरफ खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा मय जबाबदावा प्रस्तुत किया गया। एवं निवेदन किया गया कि वादगत खेतों का विभाजन एवं खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य सारणी के अनुसार कर दिया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया दावा जबाबदावा एवं राजीनामा के अनुसार वादगत खेत वादी एवं प्रतिवादीगण के विरास्त के खेत है जिनका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने बराबर बराबर हिस्से में आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है विभाजन के अनुसार ही काश्त कर रखा है जिसको वादी एवं प्रतिवादीगण निम्न सारणी के अनुसार वादगत खेतो का पारिवारिक समझौता के अनुसार घोषणा एवं विभाजन किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः वादी एवं प्रतिवादी का का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है:-

क्रस.	नाम	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	हिस्सा	टिप्पणी
1	सहीराम	राजेडू	808/184	6.04 हैक्टेयर	1.51 हैक्टेयर	उतरी मध्य
2	भानीराम	राजेडू	808/184	6.04 हैक्टेयर	1.51 हैक्टेयर	उतरी
3	श्रवणराम	राजेडू	808/184	6.04 हैक्टेयर	1.51 हैक्टेयर	पूर्वी
4	मनोहरी	राजेडू	808/184	6.04 हैक्टेयर	1.51 हैक्टेयर	दक्षिणी पश्चिमी

तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर मौके कब्जे अनुसार विभाजन कर तरमीम करे। डिक्री जारी हों ।

आज दिनांक 15.04.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूगरगढ़ जिला-बीकानेर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner